उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल

श्री कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा और
श्री न्यायमूर्ति एन. एस. धनिक.

28 दिसंबर, 2021

अपील संख्या 146/2021 के साथ विशेष अनुमति

सरकारी अपील संख्या 71/2021

उत्तराखंड राज्य…….. अपीलकर्ता

बनाम

हरदयाल और अन्य……..प्रत्यर्थीगण

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता : उत्तराखंड राज्य की और से श्री जे. एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता एवं सहायता हेतु विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री राजेश जोशी ।

विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित अभिकथन किया-

निर्णयः (कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. के. मिश्रा द्वारा उद्घोषित, .)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (बाद में संक्षिप्तता के लिए 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 378(3) के अंतर्गत दायर इस आवेदन में, अपीलकर्ता-उत्तराखंड राज्य ने दोषमुक्ति आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति हेतु प्रार्थना की है।

2. इस मामले में प्रस्तावित प्रत्यर्थीगण को विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम , उधम सिंह नगर ने सत्र वाद संख्या 305/2013 में दिनांक 31.08.2021 के निर्णय के आधार पर दोषमुक्त किया गया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की, जो कि अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के अपराध की ओर इशारा करती है पूरी श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है ।

3. अपील 25 दिन के विलम्ब से दर्ज की गई है। विलम्ब की कम अवधि और आम तौर पर प्रशासनिक मामलों में लालफीताशाही को ध्यान में रखते हुए, 25 दिनों का विलम्ब को माफ किया जाता है। विलंब माफी आवेदन (2021 का आईए संख्या 01) को इसके द्वारा अनुमति दी जाती है।

4. हालाँकि, मामले के तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तत्व पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि विद्वान उप महाधिवक्ता श्री जे. एस. विर्क द्वारा दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण सामने नहीं रखा गया है। इस संबंध में, उड़ीसा राज्य बनाम उर्मिला नायक (2021) 81 ओसीआर 619 के रिपोर्ट किए गए मामले पर हम ध्यान देते हैं; जिनमें से हममें से एक (अर्थात एस. के. मिश्रा, ए. सी. जे.) सदस्य थे, जिसमें घूरे लाल बनाम राज्य (2008) 10 एससीसी 450 के मामले पर विचार करने के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया : -

"6. उपरोक्त दो मामलों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कई अन्य आधिकारिक घोषणाओं पर विचार करने के बाद, घूरे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने संदर्भित मामलों से आविर्भाव सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। वे हैं:

"(1) अपीलीय न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 और 386 के अंतर्गत दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील में साक्ष्यों की समीक्षा कर सकती है। साक्ष्यों की समीक्षा करने की इसकी शक्ति व्यापक है और अपीलीय न्यायालय रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्यों की फिर से सराहना कर सकती है। यह तथ्यों और कानून दोनों के संबंध में विचारणीय न्यायालय के निष्कर्ष समीक्षा कर सकती है ।

(2) दोषी साबित होने तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है। जब अभियुक्त विचारणीय न्यायालय के सामने था तो उसके संबंध में उक्त उपधारणा की जाती हैं । विचारणीय न्यायालय से दोषमुक्त होने पर इस धारणा को बल मिलता है कि वह निर्दोष है।

(3) विचारणीय न्यायालय के निर्णय को उचित या समुचित महत्व दिया जाना चाहिए। यह विशिष्ट रूप से सत्य है जब किसी साक्षी की विश्वसनीयता का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय के लिए साक्ष्यों पर अलग दृष्टिकोण रखना पर्याप्त नहीं है। यह मानने के लिए पर्याप्त और ठोस कारण भी होने चाहिए कि विचारणीय न्यायालय गलत था। उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय न्यायालयों को निर्णयों की संख्या के आधार पर सुस्थापित सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यदि वह विचारणीय न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दोषमुक्ति करने या अन्यथा बाधा डालने जा रहे हैं:-

(1) अपीलीय न्यायालय विचारणीय न्यायालय के दोषमुक्त करने के निर्णय को केवल तभी खारिज कर सकती है या अन्यथा बाधा डाल सकती है यदि उसके पास ऐसा करने के लिए "बहुत ठोस और बाध्यकारी कारण" हों। ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें अपीलीय न्यायालय के पास विचारणीय न्यायालय के निर्णय को खारिज करने के लिए "बहुत ठोस और सम्मोहक कारण" होंगे। "बहुत महत्वपूर्ण और सम्मोहक कारण" तब मौजूद होते हैं जब:

(i) विचारणीय न्यायालय का निष्कर्ष तथ्य के संबंध में स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण हैं

(ii) विचारणीय न्यायालय का निर्णय कानू विधि के गलत दृष्टिकोण पर आधारित था

(iii) विचारणीय न्यायालय के निर्णय से आने न्याय की गंभीर हत्या होने की संभावना है

(iv) साक्ष्यों के व्यवस्थापन सम्बन्ध में विचारणीय न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था;

(v) विचारणीय न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित था;

(vi) विचारणीय न्यायालय ने साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया है , भौतिक साक्ष्यों को गलत पढ़ा या भौतिक दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया है जैसे मृत्यु पूर्व कथन/ बैलिस्टिक विशेषज्ञ रिपोर्ट आदि।

(vii) इस सूची का उद्देश्य उदाहरणात्मक होना है, संपूर्ण नहीं।

(2) अपीलीय न्यायालय को हमेशा विचारणीय न्यायालय के निष्कर्षों को उचित महत्व और विचार देना चाहिए।

(3) यदि दो उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, एक जिससे दोषमुक्ति हो व् दूसरे को दोषसिद्धि तो उच्च न्यायालयों/अपीलीय अदालतों को अभियुक्त पक्ष में निर्णय देना चाहिए ।"

7. घूरे लाल बनाम यूपी राज्य, (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में कोई संदेह नहीं है कि मामला दोषमुक्ति किए जाने के विरूद्ध अपील के अंतिम फैसले से संबंधित है,

लेकिन हमारी राय है कि दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देते समय न्यायालय को उक्त विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालाँकि, दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने की वांछनीयता पर या अन्यथा विचार करते समय, अपीलीय न्यायालय को, प्रथम दृष्टया, उन शर्तों के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है जो किसी को दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटने के लिए आवश्यक हैं। दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की अनुमति देने के संबंध में मामले का निर्णय करते समय, न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए, कि अपील की अंतिम सुनवाई में 'बहुत ठोस और सम्मोहक कारण' दिखाए जा सकते हैं, जिसके आधार पर वह दोषमुक्ति के निर्णय को पलटना सबसे उचित होगा। तभी अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देनी चाहिए।"

5. इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय के विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष न केवल परिस्थितियों की एक पूरी श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा है जो कि अभियुक्त प्रत्यर्थीगण के अपराध की ओर इशारा करती है, बल्कि साथ ही, अभियोजन पक्ष दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करने की इजाजत देने के लिए कोई भी अनिवार्य कारण स्थापित करने में विफल रहा है।

6. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि विद्वान उप महाधिवक्ता ने बताया है कि मृतक और अभियुक्त प्रत्यर्थी एक ही घर में रहते थे। मृतक उनका किरायेदार था, उन्होंने मृतक के माता-पिता को जानकारी दी कि उसने आत्महत्या कर ली है, जबकि मृतक की गला घोंटने(strangulation) के कारण दम घुटने(asphyxia) से मौत हुई थी। हालाँकि ऐसे तथ्य प्रबल संदेह को जन्म दे सकते हैं, लेकिन वे विधिक प्रमाण की जगह नहीं ले सकते।

7. इस मामले को देखते हुए, हमारी राय है कि उड़ीसा राज्य बनाम उर्मीला नायक, (सुप्रा) और घूरे लाल बनाम यूपी राज्य, (सुप्रा) के अभिलिखित किए गए मामलों के अनुसार, उत्तराखंड राज्य द्वारा दोषमुक्त किए जाने के विरूद्ध अपील करने की इअनुमति देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

8. हालाँकि विलम्ब क्षमा के लिए आवेदन की अनुमति प्रदान की है, परन्तु अपील की अनुमति देने के लिए आवेदन (2021 का एसपीएलए नंबर 146) खारिज की जाती हैं ।

9. परिणामस्वरूप, सरकारी अपील संख्या 71/2021 को स्वीकृत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

10. इस निर्णय की प्रमाणित प्रति उचित आवेदन पर पक्षकारों को शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति एस. के. मिश्रा,

न्यायमूर्ति एन. एस. धनिक,

दिनांक : 28 दिसंबर, 2021